सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 30, शुक्रवार, शाके 1943-अक्टूबर 22, 2021 *Asvina 30, Friday , Saka 1943- October 22, 2021*	

भाग-7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

कार्यालय रजिस्ट्रार, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान के कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारियों के लिए विभागीय परीक्षाऐं
(आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान) कर भवन, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर।

विज्ञप्ति

जयपुर, अक्टूबर 22, 2021

विज्ञप्ति संख्या प. एफ.9 (सी) 4/(एडम) सीसीटी/76 :–का अतिक्रमण करते हुए तथा राजस्थान सिविल सेवाऐं (विभागीय परीक्षाऐं) नियम, 1959 के नियम 17 के अनुसरण में नियम 28 (2) राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा (जनरल ब्रान्च) नियम 1975 के अन्तर्गत कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी के लिए निर्धारित विभागीय परीक्षा का पाठ्य विवरण समस्त सम्बन्धित की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

पाठ्यक्रम विवरण

प्रश्न–पत्र सं0 I

अनुज्ञात समय– 3.00 घंटे
अंक–300

भाग–अ **अनुज्ञात समय– 2.00 घंटे**

अंक–200

राजस्थान माल एवं सेवा कर अधिनियम, एकीकृत/अन्य माल एवं सेवा कर अधिनियम, विविध अधिनियमों एवं नियमों का सामान्य ज्ञान

(1) राजस्थान माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 एवं राजस्थान माल एवं सेवा कर नियम, 2017
(2) एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 एवं एकीकृत माल एवं सेवा कर नियम, 2017
(3) माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017
(4) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 एवं राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006
(5) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 एवं केन्द्रीय बिक्री कर नियम, 1957
(6) राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 और उसके अधीन बनाए गए नियम
(7) राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955
(8) राजस्थान अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958
(9) राजस्थान प्रवेश कर अधिनियम (स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर), 1999 एवं इसके अधीन

बनाए गये नियम।

भाग–ब **अनुज्ञात समय– 1.00 घंटे**

अंक–100

विभाग से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी ढ़ांचे का ज्ञान

(1) BO Web Portal (Backend Portal) के संबंध में गहन ज्ञान।
(2) GST Web Portal (gst.gov.in) का गहन ज्ञान।
(3) E-way Bill Portal (ewaybill.nic.in) की गहन जानकारी।
(4) राजटैक्स वेब पोर्टल पर व्यवहारियों को दी जा रही विविध सेवाओं का गहन ज्ञान।
(5) राजविस्टा पर विविध मोड्यूल्स का प्रयोग एवं उपयोग।
(6) MS Word, Excel, एवं Power Point Presentation का मूल ज्ञान।

प्रश्न–पत्र सं0 2

अनुज्ञात समय– 3.00 घंटे
अंक–300

सिविल एवं दाण्डिक विधि, वाणिज्यिक विधि व अन्य विधियां तथा वाणिज्यिक लेखा एवं लेखा विश्लेषण

(1) भारतीय दण्ड संहिता–अध्याय I, अध्याय II] अध्याय IV, अध्याय IX, अध्याय X तथा अध्याय XI –धारा 191 से 193, 195 से 211 तथा 217 से 219

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973:

अध्याय – I	
अध्याय – VI	धारा 61 से 69
अध्याय – VII	धारा 99 से 100
अध्याय – XII	धारा 154, 155,156 160 से 165 तथा 172
अध्याय – XV	धारा 200
अध्याय – XX	धारा 256
अध्याय – XXXVII	धारा 481

(3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

अध्याय – I	
अध्याय – II	धारा 17 से 23, 27, 34 से 38 तथा 45 से 47
अध्याय – V	धारा 67 से 73, 74 से 78, 79, 81 तथा 90
अध्याय – VII	धारा 101 से 103 तथा 106
अध्याय – IX	धारा 129 से 131
अध्याय – X	धारा 159,160 तथा 161

(4) सिविल प्रक्रिया संहिता
धारा 60 से 64
आदेश V] आदेश XIII- नियम 4 तथा 5

आदेश XVI, आदेश XXI- जंगम संपत्ति के विक्रय तथा कुर्की से संबंधित नियम
(5) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम– केवल अध्याय X
(6) राजस्थान भू–राजस्व (संदाय, जमा, प्रति संदाय और वसूली) नियम, 1958
(7) माल विक्रय अधिनियम 1930
(8) भारतीय संविदा अधिनियम– अध्याय I (धारा 3,5 तथा 8) अध्याय II (धारा 10, 11,13 से 18, 22 से 25 तथा 27) अध्याय IV (धारा 37 से 40, 46 तथा 47) और अध्याय X (धारा 182 से 188, 211, 213, तथा 214)
(9) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932– अध्याय II, अध्याय III, अध्याय IV तथा अध्याय VI (धारा 39 से 49)
(10)कम्पनी अधिनियम, 2013 धारा 2, 20, 27, 94, 95, 226, 265, अध्याय– XX तथा अध्याय– XXVII
(11) व्यापारिक तथा लाभ एवं हानि लेखे और तुलना पत्र बनाने सहित एकल तथा दोहरी प्रविष्टि वाली खाता बही के सिद्वान्त तथा पद्वति
(12) अंकेक्षण–आशय, उद्देश्य, कपट एवं त्रुटियों की पड़ताल, आंतरिक नियंत्रण, सामाजिक अंकेक्षण, प्रोप्राइटी अंकेक्षण, कार्य निष्पादन अंकेक्षण, दक्षता अंकेक्षण
(13) अभ्यर्थी से अपेक्षित है कि वह खाता पुस्तकों का अध्ययन कर परीक्षा टिप्पणी तैयार करेगा एवं अभ्यर्थी कुल पण्यावर्त, कराधेय पण्यावर्त तथा विभिन्न दरों पर कर के दायित्वाधीन वस्तुवार पण्यावर्त सुनिश्चित करने में समर्थ होना चाहिए।

सामान्य निर्देश

भली भांति ध्यान दे कि :–

1. विहित अधिनियमों तथा नियमों के अधीन जारी की समस्त अधिसूचना तथा आदेश भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित होंगे।
2. न्यूनतम उत्तीर्णांक 45 प्रतिशत होंगे।

नोटः– विभागीय परीक्षा का आयोजन ऑनलाईन माध्यम से किया जाएगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ (Objective), लघु उत्तरीय (Short Answer Type), निबन्धात्मक (Essay Type) प्रश्न सम्मिलित होंगे।

रवि जैन,
रजिस्ट्रार
वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान
के कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारियों
के लिए विभागीय परीक्षाऐं
(आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर)।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।